आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

पुर्नस्थापन वाद सं0-01/2023

(संदर्भः- मध्यस्थता अपीलवाद सं0-54/2020, माला देवी बनाम् बिहार राज्य)

माला देवी..अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य ....विपक्षी

आदेश

30.06.2023

प्रस्तुत पुर्नस्थापन वाद, मध्यस्थता अपीलवाद सं0-54/2020 में दिनांक 30.09.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है।

एन0एच0ए0आई0 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि एन0एच0ए0आई0 एक्ट के तहत पुर्नस्थापन वाद दायर किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता वाद सं0-54/2020 में अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए थे जिसमें उनके लगातार अनुपस्थित रहने के आधार पर वाद को सुनवाई के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया है। वस्तुतः N.H.A.I. Act, 1956 में Restoration दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत पुर्नस्थापन वाद सं0-01/2023 (मध्यस्थता वाद सं0-54/2020 से व्युत्पन्न) को ग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।